

माननीय सदस्यगण,

तेरहवीं विधान सभा के षष्ठम् सत्र में आपको संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

2. मुझे प्रसन्नता है कि राज्य सरकार नये राजस्थान के निर्माण के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए सतत् प्रयत्नशील है, जिसके परिणाम चहुंओर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सरकार प्रदेश में उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील शासन की अवधारणा के साथ अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करते हुये सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। गांव, गरीब और किसान को विकास से जोड़कर प्रदेश को खुशहाली की ओर अग्रसर किया है। राष्ट्रीय जनगणना-2011 का कार्य प्रारंभ हो गया है। मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता का आह्वान करता हूं कि इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को हम सभी मिलकर सफल बनावें।

3. प्रदेश में विकास की दिशा में विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता, उपलब्ध जल संसाधन के समुचित उपयोग हेतु नई जल नीति, औद्योगिक विकास एवं निवेश को आकृष्ट करने के लिए नई नीति तथा एकल खिड़की योजना को लागू किया गया है।

4. सरकार ने लोकहित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लेकर जहां शिक्षा, चिकित्सा, नागरिक सुविधाओं जैसी सामुदायिक सेवाओं का विस्तार किया है वहीं दूसरी ओर अनूसूचित जाति,

जनजाति, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। बेसहारों का सहारा बनी राज्य सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं निःशक्तजनों को दी जाने वाली पेंशन में वृद्धि करते हुए सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाया है, जो सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक है।

5. जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों एवं अपनाये गये विभिन्न उपायों के फलस्वरूप हम वैश्विक आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों से उबरने में सफल हुए हैं। हमारे राज्य में भी विकास का एक अच्छा वातावरण बना है। राज्य के वित्तीय संसाधनों के मद्देनजर योजना आयोग द्वारा 24 हजार 44 करोड़ 76 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया है। मेरा मानना है कि राज्य के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि निवेशकर्ता एवं व्यावहारियों में सरकार के प्रति विश्वास कायम हो। इसी सोच से प्रेरित होकर हमने वाणिज्यिक कर विभाग के माध्यम से “निवारण 2010” एवं “आईटीसी सत्यापन” जैसे विशेष अभियान संचालित किये। इस अभियान के माध्यम से व्यावहारियों की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं का निराकरण सम्भव हो सका है। इसी प्रकार व्यावहारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, हमने पत्थर, रेता, बजरी एवं ईंट

इत्यादि को वैट से मुक्त करते हुए वाणिज्यिक कर विभाग की 2000 से अधिक चैक पोस्टों को समाप्त कर दिया ।

6. आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुद्रांक शुल्क को भी युक्तिसंगत किया गया है, जिसके क्रम में मूल निवास, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के शपथ-पत्रों को नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाने पर स्टाम्प ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त निःशक्तजनों हेतु स्टाम्प ड्यूटी की दर में कमी की जाकर 4 प्रतिशत की गई है ।

7. राज्य सरकार द्वारा 10 नवम्बर, 2010 से 52 दिवसीय "प्रशासन गांवों के संग अभियान" को प्रभावी रूप से चलाकर ग्रामीण क्षेत्र के आमजन की विभिन्न समस्याओं का पंचायत मुख्यालय पर ही निस्तारण कर 87 लाख 17 हजार 424 लोगों को राहत पहुंचायी गयी । अभियान के दौरान अनेक उपलब्धियों में से महत्वपूर्ण उपलब्धियों यथा 5 लाख 18 हजार 422 नामान्तरण खोले गये, एक लाख 18 हजार 135 कृषि जोतों का विभाजन, एक लाख 47 हजार 619 राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती, एक लाख 55 हजार 723 कृषकों को पास बुक वितरण, 4 लाख 587 राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपियां, 48 हजार 178 खातेदारी अधिकार, 16 लाख 33 हजार 737 मूल निवास प्रमाण पत्र, 12 लाख 90 हजार 973 जाति प्रमाण पत्र एवं 14 लाख 48 हजार 220 जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये गये ।

8. राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों की मांग को ध्यान में रखते हुए बकाया किश्तें एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज माफी की सुविधा के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी ब्याज माफी की सुविधा को दिनांक 31 मार्च, 2011 तक बढ़ाया गया है।

9. राज्य में कानून व्यवस्था सामान्य रही। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है कि राज्य में कानून-व्यवस्था माकूल रहे। गुर्जर समाज के द्वारा की गई आरक्षण की मांग का समाधान शांतिपूर्वक एवं लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुरूप किया गया। याद रहे कि 2007 एवं 2008 में इसी प्रकार के आन्दोलन ने हिंसक रूप लिया था एवं लगभग 70 व्यक्तियों की जानें गई थी। इस बार गुर्जर समाज के साथ एक नया समझौता हुआ जिसके तहत गुर्जर एवं अन्य विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा एवं सामाजिक स्तर में उन्नति के ठोस उपाय किये जा सकेंगे।

10. जयपुर एवं जोधपुर में कानून एवं शांति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये दिनांक 1 जनवरी, 2011 से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई। इसी तरह जयपुर शहर में भूमि संबंधी बढ़ते अपराधों को रोकने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण में पुलिस थाना खोला गया है। राज्य में प्रायोगिक तौर पर ऐसे गश्ती दल की व्यवस्था की गई है, जिनमें मोटर साईकिल सवार विभिन्न इलाकों में गश्त करेंगे तथा आम लोगों

से सम्पर्क कर शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके। इसी क्रम में वर्ष 2010-11 के दौरान रात्रि गश्त को सुदृढ़ करने के लिये 3000 अतिरिक्त होमगार्ड नियोजित किये जा रहे हैं।

11. पुलिस, जेल एवं अन्य संबंधित विभागों में प्रशिक्षण व्यवस्था को अहमियत दी जा रही है। राज्य सरकार अगले 4 वर्षों में इस हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे अधिकतम संख्या में जेल, पुलिस व अन्य विभागों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा।

12. संविधान के 73 वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से प्रथम चरण में ऐसे विभागों की गतिविधियां जिनका ग्रामीण समुदाय से सीधा जुड़ाव है, उन पांच विभागों प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा महिला एवं बाल विकास की जिला स्तर तक की समस्त गतिविधियां मय निधियों एवं स्टाफ के साथ हस्तान्तरण के आदेश दिनांक 2 अक्टूबर, 2010 को जारी कर दिये गये। इस निर्णय के क्रियान्वयन को सुचारू रूप से संपादित करने, क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का समाधान करने के साथ हस्तान्तरण को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु तीन सदस्यीय मंत्रीगण की समिति का गठन किया गया है तथा जिला स्तर पर स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन भी किया गया है।

13. पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर विकेन्द्रीकृत योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिये वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनुदान के साथ-साथ स्वयं की आय बढ़ाने हेतु कर लगाने एवं स्थानीय संसाधनों के माध्यम से राजस्व प्राप्त करने हेतु व्यावहारिक सुझाव देने के लिये राज्य सरकार ने समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

14. पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित दायित्वों के प्रभावी निष्पादन करने के लिये अतिरिक्त जनशक्ति उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा नवगठित राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के माध्यम से 90 प्रतिशत विकास अधिकारियों का पदस्थापन किया जाना है, जिनमें से राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 75 अधिकारियों का पदस्थापन कर दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के कनिष्ठ अभियन्ताओं व ग्राम सेवकों के रिक्त पदों पर क्रमशः लोक सेवा आयोग व जिला परिषद के माध्यम से भर्ती करवाई जा रही है।

15. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से रिक्त पड़े लगभग पचास हजार शिक्षकों के पद जिला परिषदों के माध्यम से भरे जा रहे हैं।

16. पंचायती राज जन प्रतिनिधियों की क्षमता विकास के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास

संस्थान की क्षेत्रीय इकाई स्थापित की गई है, जो जन प्रतिनिधियों एवं कर्मियों की क्षमता अभिवृद्धि में सहायक सिद्ध होगी।

17. राज्य में निर्धन परिवारों को आवासीय सुरक्षा मुहैया करवाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जाकर 4 लाख 35 हजार परिवारों को आवासीय भूखण्ड के पट्टे उपलब्ध करवाये गये हैं।

18. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यापक स्तर पर कराये गये जल संरक्षण एवं जल संग्रहण के कार्यों के फलस्वरूप लाभ इस वर्ष अच्छे मानसून से प्रदेश के सारे टांके, डिग्गियां, खेत तलाई तथा तालाब इत्यादि में पानी की आवक बढ़ी एवं आस पास के क्षेत्रों में जल स्तर में सुधार हुआ, जिससे जल उपलब्धता में लाभ मिला। अकेले बाड़मेर जिले में नरेगा के तहत निर्मित 44 हजार से भी अधिक टांके वर्षा के पानी से भर गये जिससे कि इन परिवारों को एक वर्ष का पेयजल उपलब्ध हो सका। नरेगा के तहत कराये गये इस कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया एवं बाड़मेर जिले को पुरस्कृत भी किया गया।

19. समस्त पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी है। आने वाले समय में ऐसे केन्द्र न केवल नरेगा के सुचारू क्रियान्वयन में मदद करेंगे बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में

सूचना क्रान्ति लायेंगे तथा रोजगार के नये अवसर भी ग्रामीण जनता के लिये उपलब्ध करायेंगे, जिससे कि उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति हो सकेगी।

20. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य आजीविका मिशन का गठन किया गया है। प्रारम्भिक चरण में राजस्थान ग्रामीण लाईवलीहुड परियोजना तथा राजस्थान गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत 57 विकास खण्डों में 1200 करोड़ रुपये से भी अधिक की योजना प्रारम्भ की गई है।

21. वित्तीय वर्ष 2010—11 तक लगभग 3040 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि की 375 एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिससे कि किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल सके तथा फसल की पैदावार बढ़ सके।

22. नवगठित अल्पसंख्यक मामलात विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। राज्य सरकार के आदेश द्वारा वक्फ बोर्ड, राज्य मदरसा बोर्ड व हज कमेटी का प्रशासनिक दायित्व भी नए विभाग के पास आ गया है। जिला स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, जो जिला स्तर पर छात्रवृत्ति व ऋण सुविधा प्रदान करने का कार्य करेंगे। समय पर ऋण चुकाने वालों को 2 प्रतिशत ब्याज में रियायत दी गई है।

23. मुझे खुशी है कि अल्पसंख्यकों में शिक्षा के प्रसार के लिए जयपुर जिले में बालिका छात्रावास की स्वीकृति के पश्चात् छात्रावास में बालिकाओं के प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मानसरोवर, जयपुर में कॉलेज स्तर के बालिका छात्रावास के लिए भूमि का आवंटन भी कर दिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से वर्ष 2010-11 में लगभग 60 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित कर लगभग 7 करोड़ 30 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में उत्तर मैट्रिक नवीन छात्रवृत्ति योजना में 8 हजार 569, उत्तर मैट्रिक नवीनीकरण योजना में 959 छात्र-छात्राओं की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना में 599 व मैरिट कम मीन्स नवीनीकरण योजना में 324 छात्र-छात्राओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले पांच जिलों-जयपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, नागौर व जोधपुर में नये आई.टी.आई. खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

24. पंजीकृत 2 हजार 970 मदरसों में 2 लाख 3 हजार बालक-बालिकाएं अध्ययनरत हैं। इन मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देते हुए मदरसों में इस सुविधा का विस्तार

किया गया है। मदरसा बोर्ड द्वारा 3 हजार 500 मदरसा शिक्षा सहयोगी एवं 500 कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों की भर्ती आरम्भ की गई है। एक हजार 200 कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिये गये हैं। सुविधा युक्त 200 मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की भांति राज्य सरकार की मान्यता प्रदान की गयी।

25. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किया गया, जिसमें से वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजनाओं के लिए 456 करोड़ 13 लाख रुपये का प्रावधान कर लगभग 10 लाख 80 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कुल 8 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के दौरान राज्य में पहली बार चिन्हित निःशक्तजनों को निःशक्तता प्रमाणपत्र तथा पहचान पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराये गये हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लगभग 76 करोड़ 91 लाख रुपये का व्यय कर लगभग 1 लाख 44 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। "देवनारायण योजना" के अन्तर्गत क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं व्यक्तिगत लाभ योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं अनुप्रति में 25 करोड़ रुपये का बजट आवंटन

किया गया है तथा इसी के तहत विशेष पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र में 6 नये आई.टी.आई. खोले गये हैं। विधवा एवं अनाथ बच्चों के संरक्षण हेतु पालनहार योजना में 11 करोड़ 39 लाख रुपये का भुगतान कर लगभग 29 हजार अनाथ बच्चों को लाभान्वित किया गया है। सरकार द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण नियम, 2010 बनाये गये हैं।

26. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति माह (चिकित्सा भत्ता सहित) कर दी गई है।

27. पेंशनर्स की चिकित्सा सुविधाओं पर वर्ष 2010-11 में 156 करोड़ 57 लाख रुपये का व्यय होने का अनुमान है। पेंशनर्स को राज्य सरकार द्वारा 35 अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में ईलाज की सुविधा दी जा रही है। राजकीय एवं अनुमोदित चिकित्सालयों में विशिष्ट ईलाज पर व्यय के पुनर्भरण हेतु जिला कलक्टर को अधिकृत किया जा चुका है। पारिवारिक पेंशनर्स को मेडिकल डायरी के नवीनीकरण के शुल्क में रियायत भी प्रदान की गई है।

28. द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेन्शनर सैनिकों एवं विधवाओं की पेन्शन 1 अप्रैल, 2010 से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है, जिससे 6 हजार 590 पेन्शनर लाभान्वित होंगे। जयपुर के विद्याधर नगर के सेक्टर-2 के छात्रावास में 33 युद्ध विधवाओं के लिए नवम्बर, 2010 से

सिलाई एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किया गया है। झुंझुनूं में युद्ध विधवाओं के लिये 12 फ्लेट्स का निर्माण पूर्ण हो गया है।

29. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अब तक 30 हजार 83 दावों को स्वीकार कर अधिकार पत्र वितरित किये गये। गोल्डन रेज (मक्का उत्पादन) योजना में वर्ष 2011-12 में भी 17 करोड़ 98 लाख रुपये से 3 लाख 90 हजार बीपीएल परिवार लाभान्वित होंगे। एक हजार 181 जनजाति कृषकों के कुओं को ऊर्जीकृत किया गया एवं 812 कुओं को ब्लास्टिंग से गहरा कराया गया तथा 472 जनजाति परिवारों को डीजल पम्प सेट वितरित किये गये एवं 20 एनीकट निर्मित किये गये।

30. देवस्थान विभाग के प्रबन्ध एवं नियंत्रणाधीन मंदिरों एवं संस्थाओं के जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 2010-11 में 7 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत के कार्य करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2010-11 में 5 करोड़ 80 लाख राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के मंदिरों एवं पूजा स्थलों के जीर्णोद्धार हेतु एवं 2 करोड़ रुपये राज्य के आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु संयुक्त निधि कोष से व्यय किये जा रहे हैं।

31. खनिज उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रमुख स्थान है। इस वर्ष राज्य की "नई खनिज नीति" घोषित की गई है जिसमें पारदर्शी तरीके से खनन पट्टों के आवंटन

तथा रोजगार सृजन व मूल्य संवर्धन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जायेगी। राजकीय भूमि में अप्रधान खनिज के 50 प्रतिशत पट्टों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जायेगा, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी। अप्रधान खनिज के 50 प्रतिशत पट्टे विभिन्न वर्गों हेतु आरक्षित किये जा रहे हैं, जिनमें बेरोजगार युवाओं की समितियां भी सम्मिलित होंगी।

32. राज्य में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, भारी तेल तथा बिटुमन की खोज की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि हुई है। वर्तमान में बाड़मेर में एक लाख 25 हजार बेरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है, जो कि देश के कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत है। राज्य में उपलब्ध हाइड्रोकार्बन, लिग्नाईट व लाइमस्टोन के विशाल भण्डार के उपयोग से मूल्य संवर्धन के जरिये अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध हो, इस हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है।

33. “हरित राजस्थान योजना” में वन विभाग द्वारा नवम्बर, 2010 तक बीजारोपण सहित 64 हजार 841 हैक्टेयर में 2 करोड़ 57 लाख से अधिक पौधे एवं अन्य विभागों, संस्थाओं द्वारा 23 हजार 393 हैक्टेयर में लगभग एक करोड़ 29 लाख 85 हजार पौधे रोपित किये जा चुके हैं। सड़क किनारे वृक्षारोपण में वन विभाग द्वारा एक हजार 241 किलोमीटर में एक लाख 46 हजार से अधिक पौधे एवं

अन्य विभागों, संस्थाओं द्वारा एक हजार 467 किलोमीटर में करीब 2 लाख 24 हजार पौधे रोपित किये जा चुके हैं।

34. सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में एक करोड़ पौधे तैयार किये जा रहे हैं। वन क्षेत्रों में निवास करने वाले 831 युवकों को मानदेय पर 'वनमित्र' के रूप में लगाया जा चुका है।

35. प्रदेश में "राजस्थान पर्यावरण नीति" जारी की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत प्लास्टिक कैंरी बैग्स पर दिनांक 1 अगस्त, 2010 से राज्य में पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

36. राज्य की अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव एवं विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाली गैसेज की मात्रा में कमी लाने एवं कार्बन क्रेडिट अर्जित करने को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधीन एक क्लीन डवलपमेंट मैकेनिज्म सेल की स्थापना की जा चुकी है।

37. प्रदेश में पेयजल संकट दिनोंदिन गहराता जा रहा है। भूजल स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है और पेयजल की स्थिति नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने स्थाई स्रोतों पर आधारित 63 वृहद् योजनायें जिनकी अनुमानित लागत 12 हजार 884 करोड़ रुपये है, स्वीकृत की है। इनमें से 22 परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं और

35 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। अब तक 23 कस्बों, 2213 ग्रामों एवं 666 ढाणियों को सीधे पेयजल से लाभान्वित किया गया है।

38. पिछले वर्ष प्रदेश में अभूतपूर्व जल संकट की स्थिति पैदा हुई। मुझे कहते हुये प्रसन्नता है कि नई जल नीति लागू करते हुए सरकार ने जल संकट का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया है। आने वाले महिनो में पेयजल की समस्या आ सकती है। इस सदन ने पिछले बजट सत्र में इस नीति के पक्ष में सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया है। राज्य सरकार ने जल नीति की क्रियान्विति हेतु विभिन्न कदम यथा सूचना तंत्र की स्थापना, जल अंकेक्षण, सतही व भूजल का अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा आंकलन, सिंचाई व पेयजल परियोजनाओं की बेन्च-मार्किंग इत्यादि कई कदम उठाये हैं, लेकिन इस नीति की सफलता जल क्षेत्र में कानूनी, संस्थागत व मूल्य सुधारों पर निर्भर करेगी। पेयजल के अत्यधिक दोहन को नियंत्रित करने हेतु कानून बनाये जाने की तत्काल आवश्यकता है।

39. यह सुधार सभी पक्षों की सहमति के बिना सम्भव नहीं होंगे। इसलिये मैं सदन का आह्वान करूंगा कि इन सुधारों पर व्यापक चर्चा कर आपसी सहमति से आगे बढ़ें। यदि समय रहते हुये इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाये गये तो राजस्थान के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

40. सरकार इस बात के लिये कृत संकल्प है कि चालू सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाकर उपलब्ध जल का उपयोग सुनिश्चित किया जावे। इस वर्ष पांच लघु सिंचाई परियोजनायें पूरी कर ली जावेंगी। पानी की प्रत्येक बून्द से अधिक फसल पैदा करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण नर्मदा नहर परियोजना क्षेत्र में फव्वारा पद्धति लागू की गई है। मार्च, 2011 तक लगभग पचास हजार हैक्टेयर क्षेत्र में इस पद्धति से सिंचाई होने लग जायेगी। इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना की लिफ्ट परियोजनाओं के 28 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में भी यह कार्य हाथ में लिया गया है।

41. इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के पंजाब व सरहिन्द फीडर के नवीनीकरण हेतु पंजाब सरकार के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और आशा है कि ये कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जायेंगे। इससे इन्दिरा गाँधी नहर एवं भाखड़ा नहर के काश्तकारों को बहुत लाभ होगा।

42. सिंचाई में कृषकों की सहभागिता हेतु वर्ष 2000 में कानून पारित किया गया था। यद्यपि लगभग 1500 समितियों का गठन तो कर दिया गया, लेकिन शक्तियों के अभाव में ये समितियां निष्क्रिय रहीं। सरकार ने अब इन समितियों को जल शुल्क एकत्रित करने व उसका पचास प्रतिशत हिस्सा उन्हें देने के आदेश जारी कर दिये हैं।

43. पुराने सिंचाई तालाबों के नवीनीकरण हेतु व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण योजना अन्तर्गत 201 तालाबों का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

44. पिछले वर्ष राज्य में उत्पन्न जल संकट की स्थिति का योजनान्तर्गत सरकार ने योजनाबद्ध एवं प्रभावी तरीके से मुकाबला करते हुये 20,230 गांवों एवं 91 शहरों, नगरों में टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराया।

45. राज्य में लगभग 34 हजार ऐसे गाँव एवं ढाणियाँ हैं जिनमें पानी की गुणवत्ता की समस्या है। इनमें से लगभग 11 हजार गाँव फ्लोराइड की समस्या से प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने फ्लोराइड प्रभावित गाँवों को प्राथमिकता पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष लगभग 4600 गाँवों में कार्य हाथ में लिया है। चालू वित्तीय वर्ष में 7764 गाँव, ढाणियाँ एवं लगभग 3500 अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक बस्तियों को लाभान्वित किया जावेगा।

46. राज्य में सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में दिसम्बर, 2010 तक राज्य आयोजना एवं केन्द्रीय मद में लगभग 133 करोड़ रुपये व्यय कर 42 हजार 925 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण कराया जा चुका है। भारत सरकार से 538 करोड़ रुपये की गंग केनाल सीएडी

परियोजना पर स्वीकृति प्राप्त की जाकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्ष 2010-11 में राज्य के सिंचित नहरी क्षेत्रों में 5 हजार डिग्गियों का निर्माण कराया जा रहा है।

47. "मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना" के तहत 36 लाख 57 हजार बी.पी.एल. एवं राज्य बी.पी.एल. परिवारों को प्रतिमाह 25 किलोग्राम गेहूं दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 275 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं की बढ़ती मांग के मद्देनजर राज्य के ए.पी.एल. उपभोक्ताओं को पूर्व में आवंटित 32 हजार 180 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 64 हजार 360 मैट्रिक टन प्रतिमाह उपलब्ध करवाया गया।

48. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली राशन सामग्री का लाभार्थियों को वितरण सुनिश्चित करने, पारदर्शिता रखने एवं कालाबाजारी व पथ विचलन पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक माह की 15 से 21 तारीख की अवधि के दौरान उपभोक्ता सप्ताह में राजकीय कर्मचारियों की उपस्थिति में उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

49. "शुद्ध के लिए युद्ध अभियान" को निरंतर रखते हुए 67 हजार 434 निरीक्षण कर 22 हजार 181 नमूने लिए गए, जिसमें 406 अनुज्ञापत्र निलम्बित एवं 121 निरस्त किये तथा

228 एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। मौके पर मिलावट की जांच हेतु चल प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

50. राज्य में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का गठन किया गया, ताकि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

51. उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की कोटा, बीकानेर व उदयपुर में सर्किट बैंच की स्थापना की जा चुकी है।

52. राज्य में अच्छी एवं व्यापक वर्षा के फलस्वरूप खरीफ-2010 में 159 लाख हैक्टेयर, रबी-2010-11 में रिकार्ड 85 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई। मौसम की अनुकूलता व अच्छी बरसात से खरीफ तथा रबी-2010-11 में बोई गई विभिन्न फसलों का उत्पादन भी इस वर्ष अच्छा आंका गया है। राज्य में कृषि क्षेत्र की विकास दर में वृद्धि के लिए जिलेवार कृषि एवं सम्बद्ध विभागों की गतिविधियों का समावेश करते हुए समस्त जिलों की "जिला कृषि योजना" तैयार कर कार्यक्रमों की क्रियान्विति की जा रही है।

53. राज्य सरकार द्वारा पहली बार लगभग 60 लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अन्य कृषकों को लगभग 740 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता कृषि आदान अनुदान के रूप में बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई है।

54. कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन में नये निवेश को आकर्षित करने हेतु "कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि प्रोत्साहन नीति-2010" जारी की गई है।

55. राज्य में शीर्ष सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत सभी जिला डेयरी संघों, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक व राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के संचालक मण्डल के चुनाव करा दिये गये हैं। अन्य शीर्ष संस्थाओं के चुनाव शीघ्र कराने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है।

56. राज्य में इस वर्ष 5 हजार 211 करोड़ रुपये से अधिक का अल्पकालीन ऋण एवं 198 करोड़ रुपये से अधिक के दीर्घकालीन ऋण वितरित किए गए हैं। इस वर्ष 194 नई जी.एस.एस. एवं लैम्पस, 86 मिनी सुपर मार्केट तथा 159 मिनी बैंक खोले गए हैं। 15 नई क्रय-विक्रय सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं। सहकारिता के क्षेत्र में 99 गोदामों का राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजना में तथा 128 गोदामों का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में निर्माण कराया गया है।

57. राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। लघु व सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण गरीब लोगों की बहुत बड़ी संख्या लाभप्रद रोजगार हेतु पशुधन पर आश्रित है। राज्य के पश्चिमी जिले स्वदेशी

पशुधन के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में पहली बार “पशुधन विकास नीति” लागू की गई।

58. “पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना” के अन्तर्गत दिसम्बर, 2010 तक 47 हजार से अधिक शिविर आयोजित कर लगभग 28 लाख पशुओं का उपचार किया गया।

59. राज्य में 285 उपकेन्द्रों को पशु औषधालयों में क्रमोन्नत किया जा रहा है। 67 उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में, 75 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया है। 85 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों की स्थापना की गयी है।

60. राज्य में 4 हजार 298 महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से 2 लाख 10 हजार से अधिक महिला सदस्यों को सम्बद्ध कर महिला सशक्तीकरण को गति प्रदान की जा रही है।

61. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए “स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम” के अन्तर्गत लगभग 2 लाख गठित समूहों में से एक लाख 66 हजार समूहों को 413 करोड़ 26 लाख रुपये के ऋण दिलाये जा चुके हैं। सामूहिक विवाह प्रोत्साहन की दृष्टि से “राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009” लागू किये गये हैं, जिसके तहत संस्था को दिये जाने वाले अनुदान की सीमा 2 लाख से

बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई। सुरक्षित मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दृष्टि से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 368 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव कराने वाली महिलाओं को “कलेवा योजनान्तर्गत” स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित गरम भोजन उपलब्ध कराना प्रारम्भ किया गया है, जिसके तहत अब तक एक लाख 65 हजार महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाहकार केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

62. राज्य में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्वयं के भवन निर्माण के लिए इस वर्ष 380 भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस वर्ष महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर 348 महिला पर्यवेक्षकों को नियुक्ति दी गई है। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए “राज्य बाल अधिकार आयोग” का गठन किया गया है।

63. राज्य में शिक्षा का प्रसार सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राज्य में “सबको शिक्षा” के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा के हर क्षेत्र में नई पहल एवं नवाचार किए गए हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य में कक्षा 8 तक की बोर्ड परीक्षाओं को समाप्त किया जा चुका है तथा राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक

विद्यालयों में किसी भी प्रकार का शुल्क लेने पर पाबंदी लगायी जा चुकी है। इस अधिनियम की क्रियान्विति हेतु राज्य में नियम बनाये जा रहे हैं। राज्य में शैक्षणिक सत्र 2010-11 से कक्षा 9 व 11 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है।

64. संविधान के 73वें संशोधन की मूल भावना के अनुरूप राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जिला स्तर तक की समस्त गतिविधियां पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दी हैं। साथ ही पंचायत राज अधिनियम, 1994 में संशोधन किया जाकर अध्यापक ग्रेड तृतीय की नियुक्ति का अधिकार जिला परिषदों को दिया गया है।

65. राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2010-11 में लगभग 51 हजार बालिकाओं को "साईकिल वितरण योजना" के अर्न्तगत लाभान्वित किया गया है तथा 33 हजार से अधिक बालिकाओं को "ट्रांसपोर्ट वारुचर" की सुविधा प्रदान की गयी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं निःशक्तजन वर्ग की 470 बालिकाओं को "इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार" प्रदान किया गया है। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम तीन छात्राओं को विदेश में

स्नातक स्तर की शिक्षा राजकीय सहायता से प्रदान करने हेतु एक योजना लागू की गयी है ।

66. राज्य की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों को राज्य सेवा में समायोजित करने हेतु आवश्यक नियम तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

67. सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है । वर्तमान में लगभग 4700 उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 6650 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

68. राज्य सरकार द्वारा 29 निजी विश्वविद्यालयों हेतु आशय पत्र जारी किये गये हैं । सरकार द्वारा महाविद्यालयों में अतिरिक्त संकाय एवं कक्षा वर्ग खोलकर लगभग 25 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है । महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 19 नवीन विषय प्रारम्भ किये गये तथा 14 राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षाएं प्रारम्भ की गई हैं ।

69. राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों में संचालित प्रयोगशालाओं के उपकरण क्रय करने हेतु गत दो वर्षों में 8 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई । महाविद्यालयों में प्राचार्य, उपाचार्य, व्याख्याता एवं अशैक्षणिक संवर्ग के कुल 401 पद स्वीकृत किये गये हैं ।

70. आई.आई.टी. राजस्थान में जुलाई, 2010 से अस्थाई कैम्पस में विद्यार्थियों को प्रवेशित किया जा चुका है तथा आई.आई.एम. राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 2011-12 से उदयपुर में अस्थाई कैम्पस में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा में निरन्तर हो रही वृद्धि के फलस्वरूप कुल 122 अभियांत्रिकी, 169 पॉलिटेक्निक, 135 एम.बी.ए., 38 एम.सी.ए. तथा 848 आई.टी.आई. संस्थान संचालित हैं जिनमें कुल प्रवेश क्षमता लगभग दो लाख हो चुकी है।

71. राज्य के प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक राजकीय पॉलिटेक्निक स्थापित करने की दृष्टि से 15 जिले चिन्हित किये जाकर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, धौलपुर एवं बारां में शैक्षणिक सत्र 2010-11 से ही महाविद्यालयों का संचालन प्रारम्भ हो चुका है। प्रदेश में 10 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार योजना के तहत सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स में क्रमोन्नत किया जा रहा है तथा 10 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को केन्द्र सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार योजना में सम्मिलित किया जा रहा है।

72. राज्य में चिकित्सकों की बढ़ती मांग को देखते हुए चिकित्सा महाविद्यालयों में 222 स्नातकोत्तर सीटों तथा 49 सुपर स्पेशलिटी सीटों की वृद्धि की गई है। अब राज्य में स्नातकोत्तर की कुल 590 एवं सुपर स्पेशलिटी की 70 सीटें हो

गई हैं। जोधपुर में चरणबद्ध रूप से लगभग 35 करोड़ रुपये की लागत से नवीन जनाना एवं शिशु विंग की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। राज्य में दन्त चिकित्सा सेवाओं के सुदृढीकरण हेतु राज्य डेन्टल काउन्सिल की स्थापना कर दी गई है।

73. राज्य में “स्वास्थ्य सबके लिए” के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं संस्थागत प्रसव पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस दृष्टि से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर में कमी लाने के लिए विशेष प्रयास किये गए हैं। इसमें प्रेगनेन्सी एवं चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से लगभग 19 लाख गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है। जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा जनजाति क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु चिकित्सकों व चिकित्साकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाकर क्षमता की अभिवृद्धि की गई है। साथ ही लगभग 17 करोड़ रुपयों की लागत से 1 हजार से अधिक शैयाओं की वृद्धि इस वर्ष की जा रही है, जिसमें से 224 आईसीयू शैयाएं हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 500 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। आपातकालीन सेवायें प्रदान करने हेतु आई.सी.यू, ट्रोमा,

रिहेबिलिटेशन सेन्टर तथा बर्न यूनिटों के संचालन हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। चिकित्सा कर्मियों के 2 हजार पद सृजित किये गये हैं। पहली बार 2 हजार से अधिक चिकित्सकों की नियमित भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है।

74. मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना का विस्तार कर बीपीएल परिवारों के अतिरिक्त स्टेट बीपीएल, आस्था कार्डधारी परिवारों, एचआईवी एड्स के मरीजों, वृद्ध, विधवा तथा विकलांग पेन्शनरों, नवजीवन योजना, अंत्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के लाभान्वितों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाकर 63 लाख रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं। इस हेतु 60 करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय की जा चुकी है। “मुख्यमंत्री बालिका सम्बल योजना” के अन्तर्गत 268 बालिकाओं को योजना का लाभ दिया गया है। आपातकालीन स्थिति में सुदूर क्षेत्रों के रोगियों हेतु 108 एम्बूलेन्स योजना के अन्तर्गत 214 एम्बूलेन्स के द्वारा प्रदेश के लोगों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य में 32 “राजीव गांधी ग्रामीण मोबाईल मेडिकल यूनिट” क्रियाशील है।

75. होम्योपैथिक व यूनानी निदेशालय जयपुर में नवम्बर, 2010 से प्रारम्भ हो गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 15 आयुर्वेदिक, 10 यूनानी व 5 होम्योपैथिक पद्धति के नवीन औषधालय

खोले गये तथा 6 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी व 2 होम्योपैथिक औषधालयों को क्रमोन्नत किया गया। 378 ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, 47 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, 20 यूनानी चिकित्साधिकारी एवं 544 कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स, कम्पाउण्डरों को नियुक्तियां दी गई हैं। जयपुर में भारतीय चिकित्सा पद्धति के सभी विभागों का एक “आयुष भवन” बनाये जाने हेतु भूमि आवंटित कर दी गयी है।

76. राज्य सरकार द्वारा अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों की मजदूरी क्रमशः 135, 145, 155 एवं 205 रुपये प्रतिदिन करने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत न्यूनतम मजदूरी 1 जनवरी, 2011 से लागू कर दी गई है।

77. राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2009 तथा अधिनियम के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के लिए स्थापित कल्याण कोष में दिसम्बर, 2010 तक लगभग 23 करोड़ 93 लाख रुपये जमा किये जा चुके हैं।

78. “राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी पेन्शन योजना” के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में अब तक 50 हजार से अधिक सदस्य बनाये जा चुके हैं, जिसमें से 5 हजार से अधिक कामगार इस वर्ष सदस्य बनाये गये हैं। श्रम न्यायालयों, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2010-11 में

दिसम्बर, 2010 तक 1408 प्रकरण निर्णित कर श्रमिकों को राहत पहुँचायी गई है।

79. बीमितों को सुपर स्पेशलिटी ईलाज की सुविधा के लिए राज्य में 30 निजी अस्पतालों एवं सैकेण्डरी ट्रीटमेन्ट के लिए 6 अस्पतालों से जोड़ा गया है, जिससे बीमितों को कैशलैस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा कूकस (जयपुर), खुशखेड़ा (अलवर) एवं बिछवाल (बीकानेर) में तीन नये औषधालय स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2011-12 में बहरोड़ (अलवर) एवं मांड़ल (भीलवाड़ा) में दो नये औषधालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

80. राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने तथा उद्यमियों एवं निवेशकों को आकर्षित करने हेतु "औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति 2010" एवं "निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010" लागू की गई हैं। निवेशकों को समस्त सुविधाएं एक ही स्थान पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "राजस्थान एन्टरप्राइजेज सिंगल विण्डो एनेबिलिंग एण्ड क्लीयरेंस ओरडिनेन्स 2010" को इस वर्ष लागू किया गया।

81. प्रदेश में शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों पर शहरी विकास शुल्क समाप्त किया गया है। इससे उद्यमियों को दोहरे कर भार से मुक्ति मिली है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु सामान्य ब्याज

दर से एक प्रतिशत कम ब्याज दर पर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु ऋण योजना प्रारम्भ की गई है।

82. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की लागत से राज्य में पहली कार उत्पादन इकाई होण्डा सिएल द्वारा स्थापित की जा रही है जिससे 4 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। होण्डा मोटर साईकिल व स्कूटर्स इंडिया प्रा.लि., द्वारा राज्य में स्कूटर व मोटर साईकिल बनाने की इकाई टपूकड़ा में स्थापित की जा रही है। जिसमें पूर्ण क्षमता से उत्पादन होने पर एक हजार 100 करोड़ रुपये का निवेश व 3 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं 10 हजार व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। सेंट गोबेन ग्लास (इंडिया) लि. द्वारा भिवाड़ी, जिला अलवर में एक हजार करोड़ रुपये के निवेश से फ्लोट ग्लास का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े फ्लोट ग्लास संयंत्रों में से एक होगा। विश्व की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से एक लाफार्ज द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम भावलिया में एक हजार 600 करोड़ रुपये के निवेश से एक सीमेंट उत्पादन के संयंत्र की स्थापना की जा रही है।

83. भारत सरकार की महत्वाकांक्षी डी.एफ.सी. योजना के अन्तर्गत दिल्ली और मुम्बई के बीच 1483 किलोमीटर लम्बा फ्रेट कॉरीडोर बनाया जा रहा है, जिसका लगभग 39 प्रतिशत

हिस्सा राज्य से गुजरता है। इस कॉरीडोर के दोनों तरफ औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक पार्क, स्पेशल इकोनामिक जोन, पॉवर प्रोजेक्ट्स, औद्योगिक टारुनशिप और अन्य व्यापारिक व व्यावसायिक गतिविधियों का विश्व स्तरीय विकास किया जाना प्रस्तावित है। इससे राज्य में रोजगार, औद्योगिक क्षमता, उत्पादन एवं निर्यात में भी वृद्धि की संभावना है।

84. राज्य सरकार विद्युत् उत्पादन को प्राथमिकता दे रही है। गत दो वर्षों में उत्पादन क्षमता में 2 हजार 368 मेगावाट की वृद्धि की गई है, जिससे राज्य की स्थापित क्षमता 8 हजार 908 मेगावाट हो गई है। वर्ष 2011-12 में राज्य क्षेत्र में एक हजार 860 मेगावाट एवं निजी क्षेत्र में 810 मेगावाट क्षमता की वृद्धि संभावित है। राज्य सरकार ने दूरदृष्टि का परिचय देते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्थापित की जाने वाली 11 हजार 590 मेगावाट क्षमता की 14 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। जिसमें से एक हजार 320 मेगावाट क्षमता की सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित राज्य क्षेत्र की दो परियोजनाएं छबड़ा व सूरतगढ़ में तथा निजी क्षेत्र में भी दो परियोजनाएं बांसवाड़ा व कवाई (बारां) में स्थापित करने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है।

85. प्रसारण एवं वितरण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु गत दो वर्षों में 400 केवी के पांच, 220 केवी के ग्यारह, 132 केवी के 39 तथा 33 केवी के 559 ग्रिड सब स्टेशन बनाकर चालू किये जा

चुके हैं जिसके फलस्वरूप एक हजार 654 गांवों का विद्युतीकरण, डेढ़ लाख से अधिक कृषि कनेक्शन तथा लगभग 8 लाख 78 हजार घरेलू कनेक्शन जारी किये गये हैं। राज्य में पहली बार 765 केवी के दो ग्रिड सब स्टेशन फागी व अन्ता में बनाये जा रहे हैं। इस वर्ष 2012 करोड़ रुपये की लागत की ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत 33 केवी के एक हजार 152 नये जीएसएस बनाये जा रहे हैं।

86. पश्चिमी राजस्थान में गत दो वर्षों में 682 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि जवाहर लाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, प्रथम चरण के अन्तर्गत पूरे देश में स्वीकृत 804 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से 584 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं राजस्थान के लिए स्वीकृत की गई हैं।

87. राज्य के आधारभूत ढाँचागत विकास के महत्वपूर्ण स्तम्भ सड़क क्षेत्र को विकसित किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सहभागिता से राजमार्गों व मुख्य जिला सड़कों की परियोजनाओं को सुनियोजित रूप से क्रियान्वित किये जाने की योजना को प्रारम्भ किया गया है। झालावाड़ से झालावाड़ रोड़ व जयपुर से भीलवाड़ा सड़क को दो लेन में विकसित किये जाने के कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 8 को छः लेन, जयपुर से देवली मार्ग

संख्या 12 व जयपुर से रींगस राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 11 को चार लेन में बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

88. "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के अन्तर्गत 5 हजार 187 ढाणी, मजरों को सड़क से जोड़ने के लिए 3 हजार 354 करोड़ रुपये की योजना के प्रथम चरण में एक हजार 500 करोड़ रुपये लागत के एक हजार 833 कार्यों को स्वीकृत किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

89. देवली-केकड़ी मार्ग पर नगेड़िया उच्च पुल निर्माण हेतु 37 करोड़ 86 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। इस वर्ष अच्छी वर्षा के फलस्वरूप राज्य की क्षतिग्रस्त हुई 24 हजार 500 किलोमीटर की मरम्मत योग्य सड़कों के लिए 130 करोड़ रुपये तथा ऐसी सड़कें जो मरम्मत योग्य नहीं थी उनके नवीनीकरण के लिए 150 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत 737 किलोमीटर राज्य मार्गों व मुख्य जिला सड़कों एवं एक हजार 75 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को नवीनीकृत किये जाने की स्वीकृति जारी की गई है।

90. परिवहन विभाग में इस वर्ष के दौरान 248 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ा गया है। निगम के बेड़े में 650 नई लीलेण्ड बस, 151 टाटा बस, 15 वोल्वो एवं 10 मर्सडीज बैन्ज लग्जरी वाहन शामिल किये जा चुके हैं। 299 नये टाटा वाहन बेड़े में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है।

91. आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग श्रेणी के परिवारों को कम लागत में मकान उपलब्ध करवाने के लिये “अफॉरडेबल हाउसिंग पॉलिसी” लाने वाला राजस्थान अग्रणी रहा है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इसकी काफी सराहना की गई है। पूर्व में एक लाख पच्चीस हजार मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बढ़ाकर अब पांच लाख कर दिया गया है। जयपुर में मेट्रो व रिंग रोड़ का निर्माण प्रारंभ हो गया है। जयपुर शहर में यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के लिये फ्लाई ओवर्स, सब-वे, अण्डरपास एवं स्लिपलेन आदि की परियोजनाएं शुरू की गई हैं तथा प्रदेश में 32 रेलवे ओवरब्रिज, अण्डरपास के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

92. शहरों के सुनियोजित विकास हेतु राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों के मास्टर प्लान बनाये जाने की महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई है। कुछ शहरों के मास्टर प्लान जारी किये जा चुके हैं एवं कुछ शहरों के मास्टर प्लान आम जनता से सुझाव मांगे जाने हेतु अधिसूचित कर दिये गये हैं। दिनांक 31 मार्च, 2011 तक सभी शहरी क्षेत्रों के ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किये जाने की योजना है।

93. नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 400 करोड़ रुपये का राजस्थान शहरी विकास कोष का गठन किया गया है। समस्त नगर निकायों में

ई-प्रशासन लागू करने के लिए लगभग 97 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। नगरीय निकायों के प्रमुखों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों में बढ़ोतरी की गयी है। महापौर के वित्तीय अधिकार 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किये गये हैं। स्थानीय निकाय प्रमुखों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।

94. “जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन मिशन” के अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड गवर्नेन्स घटक के अन्तर्गत अब तक लगभग 597 करोड़ रुपये एवं UIDSSMT के अन्तर्गत लगभग 220 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। IHS DP के अन्तर्गत शहरी गरीबों हेतु 4 हजार से भी अधिक मकान तैयार कर लिये गये हैं। “राजीव आवास योजना” के तहत कच्ची बस्ती में बसे परिवारों का सर्वे कराया जा रहा है।

95. राज्य में वर्ष 2010 में 2 करोड़ 55 लाख से अधिक देशी एवं 12 लाख 79 हजार विदेशी पर्यटक राज्य के भ्रमण हेतु आये, इस प्रकार गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

96. ग्रामीण पर्यटन योजनान्तर्गत वर्ष 2010-2011 में जयपुर में बिचून, चित्तौड़गढ़ में बस्सी, सवाई माधोपुर में भूरी पहाड़ी, झुन्झुनूं में अलसीसर व उदयपुर में झालों का गुढ़ा के विकास कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। राज्य में “एडवेंचर टयूरिज्म” को बढ़ावा दिया जा रहा है।

97. पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 में विभिन्न योजनाओं से प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों एवं संग्रहालयों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। यूनेस्को द्वारा जयपुर जन्तर-मन्तर को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

98. आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा घाट की गुणी क्षेत्र में स्थित राज निवास गार्डन, रूप निवास, पीला महल एवं विद्याधर का बाग आदि धरोहरों, गुणी क्षेत्र के मंदिरों व अन्य परिसम्पत्तियों के संरक्षण एवं विकास का कार्य किया जा रहा है, जिन पर अब तक लगभग 7 करोड़ 35 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। ग्राम कुण्डा में हाथियों व महावतों के लिए समस्त आधुनिक सुविधाओं युक्त हाथी गांव का विकास किया गया है। नाहरगढ़ किले के संरक्षण का कार्य एवं "ग्लोबल आर्ट स्क्वायर योजना" के तहत जलेब चौक का संरक्षण कार्य करवाया जा रहा है।

99. राजस्थान का खेलकूद के क्षेत्र में स्वर्णिम उपलब्धियों तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। एथलेटिक, नौकायन, कबड्डी, बास्केटबॉल, वालीबॉल, शूटिंग घुड़सवारी, तीरन्दाजी आदि खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने कई बार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किए हैं। पूरे राज्य में व्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध रूप से आधारभूत खेल सुविधाएं विकसित कर अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करना विभाग का लक्ष्य है।

100. राज्य के समस्त जिलों में जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय एवं राज्य के बाहर दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता में कार्यालय स्थापित हैं। बजट वर्ष 2010-11 में की गई घोषणानुसार राज्य से प्रकाशित साप्ताहिक, पाक्षिक सहित सभी समाचार पत्रों की विज्ञापन दरों की समीक्षा कर इनका पुनः निर्धारण किया जाना प्रक्रियाधीन है। राजस्थान राज्य अधिस्वीकृत "पत्रकार चिकित्सा (बीमा) सुविधा योजना" लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 162 अधिस्वीकृत पत्रकारों को चिकित्सा बीमा योजना के तहत स्मार्ट कार्ड सुलभ करवाए गए हैं।

101. राज्य सरकार ई-गवर्नेंस के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ आम जनता तक पहुँचाने के लिये कटिबद्ध है। इस दिशा में कई कदम उठाये गये हैं, जिसमें एन.ई.जी.पी. के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता 30 करोड़ रुपये के सहयोग से राज्य के नये सूचना प्रौद्योगिकी भवन में नवीन डेटा सेन्टर स्थापित किया गया है। साथ ही एक हजार 930 नागरिक सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

102. "एकल खिड़की योजना" के तहत विभिन्न प्रमाण-पत्र बनाने संबंधी कार्यों को गति देने, अन्य सेवाएं सुलभ कराने तथा जनसाधारण की समस्याओं और शिकायतों का पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ निस्तारण के लिए राज्य के

सभी 244 उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों में "ई-सुगम" प्रणाली अनिवार्य रूप से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है।

103. राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण के संदर्भ में विचार-विमर्श एवं मंथन कर निर्णय लिये जाने हेतु दिनांक 5-6 अक्टूबर, 2010 को जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षकों, प्रमुख सचिवों एवं मंत्रिगणों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में हुये मंथन के पश्चात् आमजन की सुविधा हेतु कई निर्णय लिये गये। जिला कलक्टरों एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रति सप्ताह दो बार क्षेत्र का दौरा कर, गांवों में रात्रि विश्राम करने एवं चौपाल आयोजित कर, जन सुनवाई की व्यवस्था शुरू की गई है।

104. राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को जिला प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर, प्रत्येक माह जिले का दौरा कर, किसी एक गांव में विश्राम कर जन सुनवाई के निर्देश दिये गये हैं। प्रत्येक सोमवार दौरा रहित दिवस (non touring day) घोषित किया गया है। राजकीय कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर ही निरीक्षण दल गठित कराये गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की पालना सुनिश्चित कराने हेतु सभी विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त कराये गये हैं।

105. इस वर्ष राज्य सरकार ने राज्य सेवाओं के लिये "मानव संसाधन नवीनीकृत योजना" स्वीकृत की है जिसे एक नवम्बर, 2010 से राज्य में लागू किया गया है।

106. हमारी सरकार ने प्रदेश के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वर्ष 2011 में लगभग एक लाख रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जायेगी, जिसमें से 50 हजार पद शिक्षकों के होंगे। नियुक्ति देने में आने वाली सभी बाधाओं के बावजूद संविदा सहित लगभग 40 हजार बेरोजगारों को नियुक्ति दी जा चुकी है। सरकार द्वारा भर्ती किये जाने वाले पदों में महिलाओं बाबत विधवाओं के लिए 8 प्रतिशत एवं परित्यक्ताओं के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

107. जयपुर शहर एवं जोधपुर शहर को महानगर घोषित किये जाने के परिणामस्वरूप जयपुर एवं जोधपुर में महानगर न्यायालयों की स्थापना की गई। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी स्थित न्यायालयों को और अधिनियमों के अन्तर्गत प्रकरणों की सुनवाई के अधिकार प्रदान किये गये हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से 35 ग्राम न्यायालयों में न्यायाधिकारियों व राजस्थान न्यायिक सेवा में 84 पदों पर नियुक्ति की गई।

108. माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न विधेयकों के साथ-साथ अन्य वित्तीय एवं विधायी कार्य तथा अध्यादेशों के

प्रतिस्थापक विधेयक भी विधान सभा के समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे—

- (क) राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011
- (ख) राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2011
- (ग) वर्ष 2011-12 के लिये आय-व्ययक अनुमान तथा तत्संबंधी मांगों से संबंधित कार्य ।
- (घ) वर्ष 2010-11 के लिये अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित कार्य ।

109. आप सब इस सदन के माध्यम से प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए एकमत होकर चिंतन-मनन एवं विमर्श कर राज्य की जनता के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक उत्थान में भागीदार बनें। हमारी इस चिरन्तन कामना को हम क्रियान्वित कर सकें :

सर्वे भवन्तुः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत् ॥

अर्थात् सब सुखी रहें, निरोग रहें, अच्छे से अच्छे दिन देखें, दुःख के दिन न देखें। आप सबके विचार और प्रयास इस भावना को चरितार्थ करने में सफल हों, यही मेरी कामना है।

जय हिन्द !

-----